

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

शासनादेश संख्या 1164/11(2)2018-4(11)/2010 टी0सी0-5 दिनांक 18/06/2018 के तहत जनपद देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना की स्वीकृति प्राप्त है। यह परियोजना जनपद देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित है। इस बांध से देहरादून शहर (अस्थाई राजधानी उत्तराखण्ड राज्य) क्षेत्र के लगभग 19 लाख लोगों को वर्ष 2053 तक पेयजल की आपूर्ति की जायेगी तथा इस परियोजना के निर्माण से भुगर्भीय जल दोहन को रोकने में भी सहायता प्राप्त होगी।

प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है -

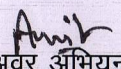
1	सिविल सोयम वन भूमि	-	27.0073 है०
2	जलमग्न भूमि	-	12.2156 है०
3	वन पंचायत भूमि	-	2.8130 है०
4	आरक्षित वन भूमि	-	85.6353 है०
5	नाप भूमि	-	10.6410 है०
योग			<u>138.3122 है०</u>

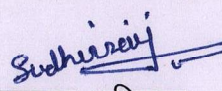
प्रश्नगत परियोजना में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 138.3122 है० का गठित किया गया है, जिसमें हस्तान्तरण हेतु कुल 127.6712 है० वन भूमि है। इस परियोजना में नाप भूमि 10.6410 है०, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है०, आरक्षित वन भूमि 85.6353 है०, जलमग्न भूमि 12.2156 है० वन पंचायत भूमि 2.8130 है० है। इस परियोजना हेतु कुल 127.6712 है० वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हेतु भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्थल की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

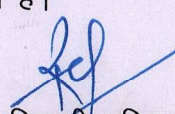
उक्त परियोजना के निर्माण से परियोजना क्षेत्र की लगभग 19 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त परियोजना से वर्ष 2053 तक पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। परियोजना के निर्माण से क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा तथा क्षेत्र में नये-नये व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे एवं क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। जिससे क्षेत्र का एवं प्रदेश का विकास निहित है। उक्त परियोजना से उत्तराखण्ड प्रदेश का विकास पर्वतीय ग्राभीण एवं पिछड़े क्षेत्र की आबादी लाभान्वित होगी, एवं उत्तराखण्ड प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून क्षेत्र के लगभग 19 लाख आबादी को पेयजल प्राप्त हो सकेगा जिससे प्रदेश की पेयजल समस्या में कमी आयेगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त परियोजना स्थल इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त परियोजना मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एवं फसलें प्रभावित होगी। परियोजना हेतु आवासीय कॉलोनी के लिये अधिकतम नाप भूमि प्रस्तावित की गई है। परियोजना हेतु कुल 10.6410 है० नाप भूमि एवं 127.6712 वन भूमि प्रस्तावित है, जिस हेतु कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि, जलमग्न भूमि, वन पंचायत भूमि एवं आरक्षित वन भूमि में वृक्षों की गणना की गई। इस परियोजना में कुल 8781 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड सरकार देहरादून को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।


अवर अभियन्ता
अवस्थापना(पुर्नवास)
खण्ड ऋषिकेश


सहायक अभियन्ता
अवस्थापना(पुर्नवास)
खण्ड ऋषिकेश


अधिष्ठासी अभियन्ता
अवस्थापना(पुर्नवास)
खण्ड ऋषिकेश

प्रभागीय वनाधिकारी
सूक्ष्म वन प्रभाग, मसूरी